

13.02.2023

पत्रावली लोक अदालत की बैच संख्या एक से प्राप्त होकर आज पेश हुई। प्रकरण में लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से पक्षकारान द्वारा लोक अदालत की बैच संख्या एक के समक्ष लिखित में राजीनामा पेश कर व्यक्त किया कि पक्षकारान द्वारा आपसी समझौता होने एवं विवादित पट्टा संख्या 69 की भूमि का आपसी बंटवाड हो गया है। अतः मौका बंटवाड अनुसार नया पट्टा जारी करवाने हेतु उक्त पट्टा संख्या 69 दिनांक 18.11.2009 को निरस्त किया जाता है तो पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र जरिए लोक अदालत की बैच संख्या एक के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत सनवाडा आर द्वारा जारी पट्टा संख्या 69 दिनांक 18.11.2009 क्षेत्रफल 364 वर्गफीट को निरस्त किया जाकर ग्राम पंचायत सनवाडा आर को निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार मौके पर कब्जा एवं बंटवाड अनुसार नए सिरे से पट्टा जारी करने की कार्यवाही संपादित करें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

*B. L. 10*

(डॉ. भँवर लाल)

जिला कलक्टर,सिरोही

